

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 153/2018

दायर दिनांक-29.10.2018

1. संतोषी पुत्री दुर्गाराम पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
2. बादामी देवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी रामनिवास जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. गणपती पुत्री दुर्गाराम पत्नी श्रवण उर्फ सुराराम जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. आशा पुत्री दुर्गाराम पत्नी बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. महेश पुत्र दुर्गाराम
2. अणची पत्नी दुर्गाराम
3. काशी पुत्र कुरडाराम
4. विजयपाल पुत्र महावीर
5. सज्जन पुत्र महावीर
6. लक्ष्मी पुत्री महावीर
7. किस्तुरी बेवा महावीर
8. पप्पू पुत्र झूथा
9. छोटू पुत्र झूथा
- 9ए. रामकोरी पत्नी झूथा जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. तहसीलदार नवलगढ़, जरिये राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री भोजराज सिंह
वकील प्रति. नं. : - दयाराम सैनी

दावा : घोषणार्थ, विभाजन,
स्थाई निषेधाज्ञा

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 15-09-2022

वाद वादी दिनांक 23.04.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./955 दिनांक 04.05.2022 प्रस्तुत करने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय भाग रहेगा। ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 8, 9, 10, 11 रकबा क्रमशः 0.06, 0.07, 0.65, 0.33 हैक्टर कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.11 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-


ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

1. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 10/2 रकबा 0.33 हैक्टर का संतोषी देवी, बादामी देवी, गणपति, आशा पुत्रिया दुर्गाराम, महेश पुत्र दुर्गाराम, अणची पत्नी दुर्गाराम जाति माली हि.ब.हि. साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.32 हैक्टर का काशी पुत्र कुरझाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 0.33 हैक्टर का पप्पू, छोटू पिता झूथा, रामकोरी पत्नी झूथा हिस्सा 1/4, विजयपाल, सज्जन पिता महाबीर, लक्ष्मी पुत्री महाबीर, किस्तुरी पत्नी महाबीर हिस्सा 1/12 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 8 व 9 रकबा क्रमशः 0.06, 0.07 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हैक्टर का संतोष देवी, बादामी देवी, गणपति, आशा पुत्रिया दुर्गाराम, महेश पुत्र दुर्गाराम, अणची पत्नी दुर्गाराम हिस्सा 1/3, काशी पुत्र कुरझाराम हिस्सा 1/3, पप्पू, छोटू पिता झूथा, रामकोरी पत्नी झूथा हिस्सा 1/12, विजयपाल, सज्जन पिता महाबीर, लक्ष्मी पुत्री महाबीर, किस्तुरी पत्नी महाबीर हिस्सा 1/36 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

()
 (दुमयती कम्बर, डी.)
 कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
 मुकाम बईजलारास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ.

मुकदमा नम्बर 153/2018 (संतोषी आदि बनाम महेश आदि वगैरह)
 दावा : घोषणार्थ, विभाजन,
 स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसाला कतई रूबरू श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब-मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.09.2022 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 8, 9, 10, 11 रकबा क्रमशः 0.06, 0.07, 0.65, 0.33 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.11 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 10/2 रकबा 0.33 हैक्टर का संतोषी देवी, बादामी देवी, गणपति, आशा पुत्रिया दुर्गाराम, महेश पुत्र दुर्गाराम, अण्ची पत्नी दुर्गाराम जाति माली हि.ब.हि. साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.32 हैक्टर का काशी पुत्र कुरडाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 0.33 हैक्टर का पप्पू छोदू पिता झूथा, रामकोरी पत्नी झूथा हिस्सा 1/4, विजयपाल, सज्जन पिता महाबीर, लक्ष्मी पुत्री महाबीर, किस्तुरी पत्नी महाबीर हिस्सा 1/12 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 8 व 9 रकबा क्रमशः 0.06, 0.07 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हैक्टर का संतोष देवी, बादामी देवी, गणपति, आशा पुत्रिया दुर्गाराम, महेश पुत्र दुर्गाराम, अण्ची पत्नी दुर्गाराम हिस्सा 1/3, काशी पुत्र कुरडाराम हिस्सा 1/3, पप्पू छोदू पिता झूथा, रामकोरी पत्नी झूथा हिस्सा 1/12, विजयपाल, सज्जन पिता महाबीर, लक्ष्मी पुत्री महाबीर, किस्तुरी पत्नी महाबीर हिस्सा 1/36 जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
 कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुञ्जुनू

Reader

26

कायलिय तहसीलदार (मु.अ.) नवलगढ़

4/5/22

क्रमांक/मु.अ./955

दिनांक 04.05.22

विषय: - श्रीमान सहायक कलक्टर महो.
(FT) नवलगढ़

विषय: - प्रकरण सं. 153/2018 उक्तान सेलोक देवी बनाम
महेब का किसान उत्साव निजवादे कबत/
तमोदपनी

उपरोक्त विषयान्वयित निवेदन है कि ज्योपाल
प्रकरण सं. 153/2018 उक्तान सेलोक देवी पत्नी मोहनलाल
बनाम महेब पुत्र दुर्गराम जाति माली निवासी झाड़ू का
किसान उत्साव दो जमिने में तैयार कर केवादे सादर
प्रेषित है।


तहसीलदार (मु.अ.)
नवलगढ़

L-12
06/04/2021

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)


श्री बाला सहाय (नाम) तहसीलदार नवलगढ़, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के आदेश क्रमांक / १३१ / 2021 / 740 दिनांक की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक समय बजे आराजी खसरा नम्बर- ४३, १०, ११ वाके ग्राम सासड़ पटवार हल्का सासड़ पर श्री बाबूलाल तालय तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- १५३/२०१४ के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक बाप सुपना दिनांक द्वारा जारी किये गये थे जिसकी तालील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	दादी/ प्रतिवादी
1.	महेरा S/o	पुंगराम	60	माली	प्रतिवादी
2.	सब्जन S/o	महावीर	21	माली	प्रतिवादी
3.	छोट S/o	सुधा	40	माली	प्रतिवादी
4.	खिल्ली W/o	महावीर	50	माली	प्रतिवादी
5.	रामबोरी W/o	सुधा	80	माली	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्वान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

नवली नवरा राम सासड़



नवल
तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

क्र.सं.	खतिगाह का नाम	खसरा नं.	रकबा	क्रिम	लगान
१.	श्रीशिवदेवी, बादामीदेवी गणपति आशा पुत्रियाँ दुर्गराम महेश पुत्र दुर्गराम अणची पत्नी दुर्गराम जाति माली हि.ब.हि. सा.देह खतिगाह	$\frac{10}{2}$	०.३३		
२.	काशी पुत्र कुरडाराम जाति माली सा.देह खतिगाह	$\frac{10}{1}$	०.३२		
३.	पद्म छोहू पि. झुया रामकोरी पत्नी झुया हि. $\frac{1}{4}$ विषयपाल सज्जन पि. महावीर लक्ष्मी पुत्री महावीर किरुरी पत्नी महावीर हि. $\frac{1}{2}$ जाति माली सा.देह खतिगाह	११	०.३३		
४.	श्रीशिवदेवी बादामीदेवी गणपति आशा पुत्रियाँ दुर्गराम महेश पुत्र दुर्गराम अणची पत्नी दुर्गराम हि. $\frac{1}{3}$ काशी पुत्र कुरडाराम हि. $\frac{1}{3}$ पद्म छोहू पि. झुया रामकोरी पत्नी झुया हि. $\frac{1}{2}$ विषयपाल सज्जन पि. महावीर लक्ष्मी पुत्री महावीर किरुरी पत्नी महावीर हि. $\frac{1}{36}$ जाति माली सा.देह खतिगाह	४ ७ क्रि २	०.०६ ०.०७ ०.१३		

अक्त विभाजन प्रस्ताव मॉडि पर उपस्थित पञ्जकारों और मालिकरानी की पढ़कर सुनाये गये। मॉडि पर उपस्थित पञ्जकारों ने पढ़ सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वा.गो/उतिवाडी
१.	महेश	दुर्गराम	माली	महेश	उतिवाडी
२.	सज्जन	महावीर	"	सज्जन	"
३.	छोहू	झुया	"	छोहू	"
४.	किरुरी	महावीर	"	किरुरी	"
५.	रामकोरी	झुया	"	रामकोरी	"
६.	काशी	कुरडाराम	माली	काशी	उतिवाडी

५

माली
नवलाकर (प.अ.)
नवलाकर

माली
उतिवाडी

निम्न पत्रकारी ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी जिल्दाडी
---------	-----	-------------	------	------	---------------

मंडी पर शब्द मॉलेखरान की भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर कुरवाये गये :-


क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/भीवाइल नं.
1	प्रदीप कुमार मिश्रा	श. मधराज मिश्रा	59	ब्राह्मण	935264/502


प्रदीप मिश्रा

इस प्रकार शब्द दिनांक 08/02/2022 को यह मॉका रिपोर्ट तैयार की गई है।

08/02/2022
प्र. सासक

हस्ताक्षर
पत्रकारी



हस्ताक्षर
भू. बा. निरीक्षक
8/2/2022


तहसीलदार (पू.अ.)
हस्ताक्षर
तहसीलदार

५

ग्राम - शासक

36



उमाशिर जी बापकापु हेतु निःशुल्क पारीची गरि
मुंबई
०२/२०२२
नवसासक

५

तहसीलदार (मु.अ.)
नवलगाव